बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (भारतीय चिकित्सा में शिक्षा के न्यूनतम मानक) (संशोधन) विनियम, 2013 के तहत् निर्गत अधिसूचना दिनांक 24.05.2013 द्वारा यूनानी के स्नातक डिग्री धारको के लिए एक वर्षीय अनिवार्य विशिखानुप्रवेश (Internship) के प्रशिक्षण कार्यक्रम की रूप रेखा एवं शर्त्ते निर्धारित की गई है। उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट प्रावधानों के तहत् राज्य सरकार द्वारा यूनानी के स्नातक डिग्री धारियों हेतु विशिखानुप्रवेश के लिए निम्नांकित प्रावधान किये जाते है:–

1. स्नातक कोर्स (बी0यू0एम0एस0) का अध्ययन कार्यकाल पूर्ण होने पर सभी यूनानी स्नातक धारियों के लिए एक वर्षीय विशिखानुप्रवेश (Internship) का प्रशिक्षण अनिवार्य होगा।
2. प्रत्येक प्रशिक्षु विशिखानुप्रवेश (Internship) कार्यक्रम में सम्मिलित होने से पूर्व राज्य बोर्ड/परिषद् में अपना नाम अस्थाई रूप से पंजीकृत करायेगा एवं इस संबंध में प्रमाण–पत्र प्राप्त करेगा।
3. एक वर्ष विशिखानुप्रवेश (Internship) कार्यक्रम में से छः माह का नैदानिक (क्लीनिकल) प्रशिक्षण उसी महाविद्यालय द्वारा दिया जायेगा जिसमें यूनानी स्नातकधारी प्रशिक्षु अध्ययन किये है। संबंधित महाविद्यालय द्वारा उनके साथ संलग्न अस्पताल में छः माह का नैदानिक (क्लीनिकल) प्रशिक्षण निम्नवत् संचालित किया जायेगा:–

क्र.सं.	विभाग	छः माह का विभाजन
1	मोआलाजात इलाज बित तद्बीर को सम्मिलित करते हुए	दो माह
2	जराहत	एक माह
3	अमराज–ए–एन, उज्न, अनफ–हलक वा अस्नान	एक माह
4	इल्मुल कबालत–वा–अमराज–ए–निस्वान	एक माह
5	अमराजे अत्फाल	15 दिन
6	तहफ्फूजी–वा–समाजी तिब्ब (प्रीवेन्टिव एण्ड कम्युनिटी मेडीसिन)	15 दिन

शेष छः माह का प्रशिक्षण प्रशिक्षुओं द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम से प्रशिक्षुओं से अवगत एवं परिचित होने के उद्देश्य से, निम्नलिखित में से किसी एक संस्थान द्वारा प्राप्त किया जायेगा।

(क) राज्य के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

(ख) राज्य के सभी सदर अस्पताल/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र

(ग) पी0एम0सी0एच0, पटना/इन्दिरा गॉधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना/अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, गया/नालान्दा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, पटना/इन्दिरा गॉधी हदय रोग संस्थान पटना/एस0के0एम0सी0 कॉलेज एवं अस्पताल, मुजफ्फरपुर।

(घ) राज्य के सभी जिला संयुक्त औषधालय/ राज्य के सभी राजकीय यूनानी कॉलेज एवं अस्पताल।

उपर्युक्त सभी केन्द्रों (क,ख,ग एवं घ) को ऐसे प्रशिक्षण देने हेतु संबंधित विश्वविद्यालय तथा संबंधित सरकारी अभिहित प्राधिकरण द्वारा अनुमति प्राप्त करना होगा। इन सभी केन्द्रो में प्रशिक्षु निम्नांकित मामलों से परिचित होगें।

1. अस्पताल के दैनिक कार्यो एवं अभिलेखों के संधारण से अवगत एवं परिचित होना
2. अस्पताल के चिकित्सीय/गैर चिकित्सीय स्टाफ के दैनिक कार्यकलापों से अवगत होना उनसे प्रशिक्षण अवधि के दौरान हमेशा संपर्क में रहना

3. अस्पताल के पंजी यथा दैनिक रोगी पंजी, परिवान नियोजन पंजी, शल्यतंत्र पंजी इत्यादि के संधारण कार्य से परिचित एवं अवगत होना तथा सरकार के विभिन्न स्वास्थ्य स्कीम/कार्यक्रम में क्रियाशील होकर भाग लेना।
4. भारत सरकार द्वारा राज्य/जिलों में चलायें जा रहे विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों में क्रियाशील होकर भाग लेना।
5. विशिखानुप्रवेश (Internship) की अवधि एक वर्ष की होगी।
6. प्रशिक्षु का दैनिक कार्य समय 8 घंटे से कम का नहीं होगा।
7. विशिखानुप्रवेश (Internship) के संबंध में भारतीय चिकित्सा परिषद् (भारतीय चिकित्सा शिक्षा के न्यूनतम मानक (संशोधन) विनियमन–2013) के संदर्भ में भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् का अधिसूचना दिनांक 24.05.2013 के शेष प्रावधान लागू माने जायेगे।
8. विशिखानुप्रवेश (Internship) में जो प्रशिक्षु निजी यूनानी कॉलेजों में अध्ययनरत है, उन्हें Stipend देय नहीं होगा।

ह0/–
(नागेन्द्र प्रसाद)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक:–16/यू.01–05/2016 -423 (का०नि०) पटना/दिनांक – 31.03.2017

प्रतिलिपि – प्राचार्य (राज्य के सभी राजकीय एवं गैर सरकारी यूनानी महाविद्यालय)/सभी सिविल सर्जन/निदेशक, इन्दिरा गॉधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना/ इन्दिरा गॉधी हदय रोग संस्थान पटना/अधीक्षक, पी0एम0सी0एच0, पटना/अधीक्षक, नालान्दा मेडिकल कॉलेज, पटना/ अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, गया/दरभंगा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, दरभंगा/स0के0एम0सी0 कॉलेज एवं अस्पताल, मुजफ्फरपुर/ निबंधक, बिहार राज्य आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा परिषद्, पटना/ सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के प्रभारी पदाधिकारी/ सभी आयुर्वेदिक अस्पताल एवं औषधालयों के जिला देशी चिकित्सा पदधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि – आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव
31/03